न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 147 / 2024

उनवान

1. भंवर लाल पुत्र श्री मोहन लाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
2. प्रभु लाल पुत्र श्री रामलाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
3. काली पुत्री श्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
4. जमना पुत्र श्री मांगू भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
5. बाबू पुत्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
6. मीरा पुत्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
7. रामेश्वर पुत्र श्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
8. शांति पत्नी श्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।
9. सीता पुत्री श्री रामपाल भंगी नि0 पीपली तह0 हमीगरढ जिला भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. बंशी लाल दरोगा पुत्र श्री भैरू दरोगा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. बबलू दरोगा पुत्र श्री भैरू दरोगा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. कन्हैया लाल पुत्र श्री राधाकिशन नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)(डिलीट)
4. श्याम लाल पुत्र श्री गोवर्धन रेगर नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. नानू लाल पुत्र श्री गावर्धन लाल रेगर नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. जुनैद खान पुत्र श्री मोहम्मद असलम खान मुसलमान नि0 मोहम्मदी कॉलोनी, भोपालपुरा रोड, शास्त्रीगन, भीलवाडा तह0 एवं जिला भीलवाडा
7. भगवान पुत्र श्री हीरा रेगर नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. भंवर पुत्र श्री हीरा रेगर नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. श्रामसिंह पुत्र श्री नारायण दरोगा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 11—02—2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 09.10.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता सख्या 274 की आराजी संख्या 436 रकबा 0.6323है0, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.6070है0, आराजी नम्बर 439 रकबा 0.0126है0, आराजी नम्बर 440 रकबा 0.0759है0, कुल किता 04 रकबा 1.3278है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने

Scanned with ACE Scanner

खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **15.10.2024** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01,02 व 04 से 10** बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या **3** अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या **3** के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम **3** का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम पीपली पटवार हल्का पीपली भू०अ०नि० मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की खाता सख्या 274 की आराजी संख्या 436 रकबा 0.6323है०, आराजी नम्बर 438 रकबा 0.6070है०, आराजी नम्बर 439 रकबा 0.0126है०, आराजी नम्बर 440 रकबा 0.0759है०, कुल किता 04 रकबा 1.3278है०, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 600/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned with ACE Scanner